

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.-343 / 2010

संस्थित दिनांक-30.04.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अशोक रजक पिता फूलसिंह रजक, उम्र-35

निवासी- भटेरा चौकी बालाघाट,

थाना कोतवाली जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

- - - - - आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-23/3/2015 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304(ए) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-01.04.2010 को करीब 5:30 बजे ग्राम परसाटोला लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.50/पी/0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को पलटाकर आहत बबीता, सुषमा, डीगूमल को साधारण उपहति एवं आहत रामहरक देशमुख व पारूल को घोर उपहति कारित की तथा मृतक सुरेश की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आता।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता इन्दरसिंह पंडित द्वारा थाना बैहर में आकर सूचना दी गई कि आरोपी अशोक रजक ने दिनांक-01.04.2010 को शाम 5:30 बजे वाहन अग्रवाल बस क्रमांक-एम.पी. 50/पी/0251 जो बैहर से उकवा जा रही थी, तभी ड्राइवर बस को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर बस को पलटा दिया गया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-35/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। ईलाज के दौरान आहत सुरेश की मृत्यु होने से उसका शव परीक्षण कराया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन जप्त मय दस्तावेज

के जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। पुलिस द्वारा आहतगण की चिकित्सीय रिपोर्ट में आहतगण को अस्थि भंग होने एवं आहत सुरेश के मृत होने से आरोपी के विरुद्ध धारा-338, 304(ए) भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304(ए) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.04.2010 को समय प्रातः 9:30 बजे ग्राम करीब: 5:30 बजे ग्राम परसाटोला आरक्षी केन्द्र बैहर के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक-एम.पी.50/पी/0251 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर आहत बबीता, सुषमा, डीगूलाल को साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर आहत रामहरक देशमुख व पारूल को घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर मृतक सुरेश की मृत्यु ऐसे कारित की, जो मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

#### विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5- आहत पारूल उइके (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना तीन-चार वर्ष पूर्व शाम के समय की है। वह अग्रवाल कंपनी की बस से हीरापुर से बालाघाट जा रही थी। वह बस के चालक को नहीं देख पाई थी। परसाटोला में जहां बेगा लोग रहते हैं, वहां पर बस उछलकर पटल गई। बस कैसे पलटी उसे जानकारी नहीं है। किसकी गलती से बस पलटी थी, इस बात की भी उसे जानकारी नहीं है। उक्त घटना से उसे हाथ और पैर में चोट आई थी। उसका मुलाहिजा हुआ था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि दुर्घटना किसकी गलती से और

कैसे हुई थी, वह नहीं बता सकती। साक्षी का स्वतः कथन है कि बस में कुछ लोग बता रहे थे कि बस का चका निकल गया था। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं आहत होते हुए वाहन चालक की गलती न होकर उक्त वाहन का चका निकल जाने के कारण दुर्घटना घटित होना प्रकट किया है।

6— सुषमा परते (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानती है। घटना वर्ष 2010 की शाम 5 बजे की है। वह बैहर से समनापुर बस से जा रही थी, तभी बस का पट्टा टूट गया था, जिससे बस पलट गई थी। वह बस में पीछे बैठी हुई थी, इसलिए नहीं बता सकती कि बस कौन चला रहा था और न यह बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी उक्त वाहन को चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के तुरंत बाद बस में उपस्थित लोग बस का पट्टा टूटने वाली बात कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि चालक ने सावधानी न बरती होती तो बड़ी दुर्घटना हो जाती। इस प्रकार उक्त साक्षी स्वयं आहत होते हुए भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं करती है।

7— रामहरक देशमुख (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना 01.04.2010 शाम के 05.30 बजे की है। वह बैहर से रूपझर बस में जा रहा था। घोघाटोला के मोड़ पर एक मारुति जैसी गाड़ी सामने से आ रही थी। दोनों वाहन एकदूसरे को काँस होते समय बस में से कुछ आवाज आई और बस पलट गई। बस धीमी गति से चल रही थी। बस चालक की गलती नहीं थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय बस का चालक वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बस में यांत्रिकी त्रुटि आने के कारण घटना हुई थी, जिसमें आरोपी की कोई गलती नहीं थी।

8— बबीता असाटी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानती है। घटना के समय वह अग्रवाल बस में बैठकर बैहर से बालाघाट आ रही थी, उस समय बस को कौन चला रहा था, उसने नहीं देखा था। रास्ते में बस सामान्य गति से चल रही थी तथा मोड़ होने के कारण बस पलट गई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि बस को आरोपी के द्वारा बस को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाया जा रहा था। साक्षी ने आरोपी की पहचान बस चालक के रूप में भी नहीं की। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है, बल्कि साक्षी ने बचाव पक्ष का ही समर्थन करते हुए यह कथन किये हैं कि बस सामान्य

गति से चल रही थी और मोड़ होने से एक्सीडेंट हो गया था।

9— डीगूलाल बोपचे (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना दिनांक—01.04.10 की शाम 5:30 बजे की है। घटना के समय वह थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह घटना दिनांक को कोर्ट कार्य के लिए बैहर आया हुआ था। जब वह वापस बैहर से रूपझर थाना जा रहा था, तब अग्रवाल बस बैगाटोला के आगे पहुंची, तो घटनास्थल पर जहां मोड़ था, आरोपी ने बस को तेज गति से चलाया, जिससे बस पलटकर दो पलटी खाई, जिससे उसके बाएं बक्खे और बाएं हाथ की कोहनी पर तथा शरीर के अन्य भागों में भी चोट आई थी। उसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अग्रवाल नाम से तीन-चार बसें हैं तथा दुर्घटना वाले रास्ते पर और भी बसें चलती हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बस में कोई यांत्रिकी खराबी आ गई थी, जिससे घटना घटित हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की दुर्घटना कारित बस के चालक के रूप में स्पष्ट पहचान करते हुए आरोपी के द्वारा तेज गति से वाहन चलाए जाने का तथ्य प्रकट किया है, किन्तु आरोपी की गलती या उतावलेपन से दुर्घटना कारित होने के कथन नहीं किया है। साक्षी ने उक्त दुर्घटना में उसे अस्थिभंग कारित होने का भी कथन किया है, यद्यपि उसे अस्थिभंग कारित होने के संबंध में अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर उसे साक्ष्य में प्रमाणित नहीं किया गया है।

10— डॉक्टर एन.एस.कुमरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक—05.04.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक के द्वारा आहत रामहरक एवं श्रीमती बबीता, श्रीमती सुषमा, डिगूलाल, कुमारी पारूल, सुरेश को परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने उक्त आहतगण की चोटों का परीक्षण किया था। आहतगण को एक्सरे कराने की भी सलाह दी गई थी। जिसमें से आहत कुमारी पारूल के एक्सरे परीक्षण में अस्थिभंग होना पाया था। इस प्रकार साक्षी ने आहत कुमारी पारूल को अस्थिभंग होने की पुष्टि की है तथा शेष आहतगण को साधारण चोट कारित होने की पुष्टि की है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी इंजनसिंह मर्सकोले (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01.04.2010 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही बैहर थाने में ही प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम पदस्थ था, जिसके साथ उसने लगभग दो साल कार्य किया है। प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम की मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसने इस प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही की है। दिनांक—01.04.2010 को इंदरसिंह की ओर से प्रधान आरक्षक धनिराम



भैरम ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-35/2010 धारा-279, 337 भा.द.वि. जो प्रदर्श पी-9 है, लेख किया था, जिस पर प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के द्वारा ही घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षी डीगूलाल, सुरेश, कुमारी पारूल, बबीता एवं दिनांक-02.04.2010 को रामहरक, सुषमा के कथन प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के द्वारा लिये गए। दिनांक-04.04.2010 को आरोपी अशोक रजक से बस क्रमांक-एम.पी.-50/पी-0251 जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-11 अनुसार जप्त किया गया, जिस पर प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 की कार्यवाही की गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रधान आरक्षक धनिराम भैरम को वह भली-भाँति पहचानता है, क्योंकि उसने उसके साथ दो साल तक कार्य किया है। साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

12— प्रकरण में मृतक सुरेश की मृत्यु कारित होने के संबंध में उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट पेश है, किन्तु अभियोजन की ओर से उसे चिकित्सक के माध्यम से प्रमाणित नहीं कराया गया है। यद्यपि तर्क के लिए प्रकरण में घटना के समय वाहन दुर्घटना के कारण मृतक सुरेश की मृत्यु तथा आहत रामहरक व पारूल को घोर उपहति व अन्य आहतगण को साधारण उपहति कारित होना प्रमाणित मान भी लिया जाए, तब भी अभियोजन पर यह प्रमाण भार है कि उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा वाहन बस को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किया गया था, जिस कारण मृतक सुरेश की मृत्यु हुई और आहतगण को उपहति कारित हुई।

13— अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा बचाव पक्ष को अभियोजन मामले में संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न करना होता है। मामलों में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय कथित बस को चलाया जा रहा था, किन्तु घटना के महत्वपूर्ण साक्षीगण में से अधिकांश ने अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है और न ही आरोपी की वाहन चालक के रूप में पहचान की है। मात्र साक्षी डीगूलाल बोपचे (अ.सा.1) ने ही अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में आरोपी की पहचान करते हुए कथन किया है कि आरोपी बस को तेज गति से चला रहा था, जिससे बस पलट गई थी, जबकि अन्य सभी साक्षीगण का यह कथन है कि बस का चालक वाहन को धीमी गति से चला रहा था। इस प्रकार स्वयं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथनों में ही बस की तेज या धीमी गति के संबंध में परस्पर विरोधाभास है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित बस

को तेज गति से चलाया जा रहा था, तब भी मात्र वाहन के तेज गति से चलाए जाने के तथ्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किया जा रहा था। वास्तव में जब तक वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने या आरोपी की गलती से वाहन पलट जाने की स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध न हो तब तक मात्र वाहन के तेज गति से चालन के आधार पर चालक के द्वारा वाहन के उतावलेपन या उपेक्षा से चालन करने की उपधारणा नहीं की जा सकती है।

14— प्रकरण में स्वयं अभियोजन साक्षीगण के अनुसार घटना के समय दुर्घटना कारित बस का सामान्य व धीमी गति से चलने और चालक की गलती से दुर्घटना न होने के कथन किये गए हैं। साथ ही अभियोजन साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट होता है कि घटना के समय उक्त बस का पट्टा या चका निकल गया था, जिस कारण बस पलट गई थी। ऐसी दशा में दुर्घटना कारित बस का मैकेनिकल परीक्षण कराया जाना आवश्यक था, किन्तु अभियोजन की ओर से वाहन का मैकेनिकल परीक्षण नहीं कराया गया है। यदि वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया होता तो अवश्य ही बचाव पक्ष को वाहन में यांत्रिकी त्रुटि के कारण दुर्घटना कारित होने के संबंध में चुनौती दिए जाने तथा अभियोजन को उक्त संदेहास्पद परिस्थिति को स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है। मामलों में दुर्घटना कारित वाहन का मैकेनिकल परीक्षण न कराया जाना भी अभियोजन की ओर से तात्त्विक त्रुटि को दर्शित करता है, जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह को उत्पन्न करता है, जिसे अभियोजन की ओर से साक्ष्य में दूर नहीं किया गया है। मामलों में जो संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न है वह इस ओर इंगित करती है कि आरोपी के द्वारा वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से न चलाया जाकर सामान्य गति से चलाकर वाहन में यांत्रिकी खराबी होने के कारण वाहन पलटने से दुर्घटना होना संभावित है। उक्त संदेहास्पद परिस्थितियां का लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, उक्त वाहन को पलटाकर आहत बबीता, सुषमा, डीगूलाल को साधारण उपहति तथा आहत रामहरक व पारूल की अस्थि भंग कर गम्भीर उपहति कारित कर और मृतक सुरेश की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, 304(ए) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक—एम.पी.50/पी—0251 मय दस्तावेज के संतोष कुमार पिता सूरज अग्रवाल, निवासी उकवा, थाना रूपझर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)